ई मेल/ विशेष कैंप बैग /स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

सं. 3/1/2013/वी.वी.पी.ए.टी /एस.डी.आर दिनांक : 20 नवंबर, 2013

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय: प्रिंटर सहित इलेक्टानिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग–निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम, 49 ड़ क के अधीन घोषणा का प्रारूप–तत्संबंधी।

महोदय/महोदया

आयोग के दिनांक 15 अक्तूबर, 2013 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके साथ ई.वी.एम में रिकार्ड किए गए मतों के "पेपर टेल हेतु प्रिंटर" के प्रयोग पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 को संशोधित करने सम्बन्धी विधि एवं न्याय मंत्रायल द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त, 2013 को प्रकाशित किए जाने सम्बन्धी भारत के राजपत्र की प्रति अग्रेषित की गई थी। आयोग के निदेशानुसार जहां वी.वी.पी.ए.टी. का प्रयोग होता है, वहां निर्वाचकों द्वारा दर्ज किए गए टेस्ट वोट, यदि कोई हैं, तथा प्रिंटर की पहचान संख्या को समाविष्ट करने के लिए फार्म 17 ग को भी संशोधित किया गया है।

तत्पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट् याचिका सिविल 2004 सं. 161(पीपल्ज़ यूनियन फार सिविल लिबर्टिज़ तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में दिनांक 27 सितम्बर 2013 के अपने निर्णय में यह निदेश दिए थे कि आयोग को मतपत्र दस्तावेजों/ई.वी.एम. में "इनमें से कोई नहीं (नोटा)" हेतु आवश्यक प्रावधान बनाने चाहिए ताकि ऐसे निर्वाचक जो किसी अभ्यर्थी के लिए वोट नहीं देना चाहते, अपने निर्णय की गोपनीयता को भंग किए बिना किसी भी अभ्यर्थी के लिए वोट न देकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 41(2), 41(3) तथा 49(ण) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 तथा संविधान के अनुच्छेद 19(1) (क) के अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया है।

उच्चतम न्यायालय के ऊपरोल्लिखित निर्णय के आलोक में फार्म 17ग की मद संख्या 3 पर नियम 49ण के अधीन मतों को रिकार्ड न करने का निर्णय मतदाताओं की संख्या को नोट करने के लिए बनाए गए प्रावधान को निरर्थक बना देता है। इसी बीच, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने ऐसी किसी संभावना से इंकार नहीं किया है जिसमें कुछ मतदाता, मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के पश्चात तथा ई.वी.एम./मतपत्र में नोटा के विकल्प का प्रावधान होने पर भी किसी वजह से वोट नहीं डालते और उन्होंने ऐसे मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग द्वारा इस मामले पर विचार करने के उपरान्त निर्णय लिया गया है कि यदि कोई निर्वाचक फार्म 17क में हस्ताक्षर करने

के पश्चात् बिना मत डाले जाना चाहता है तो स्थिति/परिस्थिति के अनुसार मतदाता रजिस्टर (फार्म 17क) में अभ्युक्ति लिखी जा सकती है, यथा "बिना मत दिए चले गए" या "मत डालने से इंकार कर दिया" इत्यादि। जिसके अधीन निर्वाचक मत नहीं डालना चाहता है।

फार्म 17ग (भाग–I) में ऐसे मामलों की संख्या उसमें "49ण नियम के अधीन" शब्दों को काट देने के पश्चात् मद(3) के सामने दिखाई जाएगी।

मिज़ोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जहां विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के लिए मतदान होने हैं तथा गुजरात और तमिलनाडु राज्यों जहां उप–निर्वाचन होने हैं, में ये अनुदेश मतदान केंद्रो पर निर्वाचनों के संचालन हेतु तैनात यथोचित आधिकारियों के ध्यान में विधि से लाए जाऐ।

कृपया पावती दें।

भवदीय

(एन.टी.भूटिया)
अवर सचिव